न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या- 2, नीम का थाना, जिला सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पूनम शर्मा, *(आर. जे. एस.)*
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र/ सी. आई. एस. नम्बर- 80/ 2026

दिनेश सिंह पुत्र श्रीमान् सिंह, आयु 24 वर्ष, निवासी जगतसिंह नगर तन नीमोद, पुलिस थाना नीम का थाना सदर, जिला सीकर (राज.)

. . . . प्रार्थी/ आरोपी

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिए अपर लोक अभियोजक

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 242/ 2025 पुलिस थाना सदर नीम का थाना
अपराध अन्तर्गत धारा- 115(2) , 126(2) , 117(2) , 109(1) ,
111(2) (ख) , 56, 309(6) , 61(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थितः

1. श्री नत्थूसिंह तँवर, अधिवक्ता प्रार्थी/ आरोपी की ओर से
2. अपर लोक अभियोजक, राज. राज्य की ओर से
3. श्री मनीराम जाखड़, अधिवक्ता परिवादी पक्ष की ओर से

आ दे श **दिनांकः 02. 07. 2026**

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या- 1, नीम का थाना, जिला सीकर के समक्ष पेश किया गया था , जो माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर के आदेश क्रमांकः स्था. / 2021/ 3911 दिनांक 13. 07. 2021 की पालना में विधिवत् सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अन्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ ।

2. प्रार्थी/ आरोपी दिनेश सिंह की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा- 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों पर उसे अग्रिम जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया गया । जमानत प्रार्थना पत्र की प्रति अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई । केस डायरी मय तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई ।

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 06. 07. 2025 को परिवादी प्रकाशचन्द ने हाजिर थाना सदर नीम का थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी के भाई सुभाष पुत्र बालूराम सैनी से रामनिवास पुत्र बालूराम सैनी एवं सौरभ पुत्र रामनिवास सैनी, निवासी ढ़ाणी नदी उपरली तन गांवड़ी तहसील नीम का थाना कई

दिनों से रंजिश रखते हैं तथा प्रार्थी व प्रार्थी के भाई सुभाष व परिवार को जान से मारने का प्रयास किया । दिनांक 05. 07. 2025 को सायंकाल प्रार्थी के भाई सुभाष के मोबाईल नंबर 9829841870 पर किसी अनजाने व्यक्ति का फोन आया तथा कहा कि वह नवीन बोल रहा है तथा जरूरी काम होना बताकर प्रार्थी के भाई सुभाष को बुलवाया । प्रार्थी के भाई सुभाष ने अनजाने होने व खुद को कोई काम नहीं होना बताकर जाने से मना कर दिया तथा आवश्यक काम हो तो घर ही बुलाने को कहा किन्तु उक्त नवीन नाम के व्यक्ति का कई बार फोन आया तथा बहुत जरूरी काम होना बताकर एक बार कुछ देर आने का आग्रह किया, जिस पर सुभाष झांसे में आकर भरोसा कर घर से निकल गया । घर से थोड़ी दूर चलने के बाद रात्रि करीब 08. 30 बजे नदी बाईपास से आम रास्ते में तीन व्यक्ति खड़े थे, जिनके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था, जिन्होंने प्रार्थी को जबरन रोक लिया तथा रोककर जान से मारने की नीयत से लोहे की राड़, लाठियों व चाकू से वार कर घायल कर दिया तथा हाथ-पाँव तोड़ दिया तथा सिर, पेट, पीठ व शरीर के नाजुक अंगों पर लात- घूसों, लाठी, लोहे की राड़ तथा चाकुओं से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई तथा सुभाष का मोबाईल व जेब से कागजात व रूपये लूटकर ले गए तथा मारपीट के दौरान कह रहे थे कि आज इसको रास्ता व जमीन आदि देकर जान से मार देंगे । उक्त लोग मारपीट कर सुभाष को मरा हुआ समझकर तथा शम्भु पुत्र मन्नाराम को आते हुए देखकर छोड़कर भाग गए । उक्त वर्णित रामनिवास व उसके बेटे सौरभ के द्वारा अन्य से मिलकर आपराधिक योजना बनाकर सुभाष को जान से मारने की नीयत से वारदात को अंजाम दिया गया । रास्ते चलते शिम्भु पुत्र मन्नाराम सैनी 7891566589 निवासी ढ़ाणी नदी उपरली तन गांवड़ी तहसील नीम का थाना ने घटना देखकर अपने मोबाईल नंबर से प्रार्थी के मोबाईल नंबर 7878131154 पर 08. 35 पी. एम. पर फोन किया, जिस पर प्रार्थी व प्रार्थी का भाई कैलाश तथा कृष्ण भागकर मौके पर आए, जहां सुभाष पड़ा हुआ था, जिस पर सुभाष को सरकारी अस्पताल नीम का थाना लाए तथा तुरंत पुलिस को सूचना दी, सुभाष की हालत गंभीर व नाजुक होने से डॉक्टरों ने जयपुर रैफर कर दिया . . . . . वगैरह- वगैरह पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या- 242/ 2025 अन्तर्गत धारा- 115(2), 126(2), 189(1), 307 भारतीय न्याय संहिता दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया तथा अनुसंधान से प्रार्थी / आरोपी के विरूद्ध धारा- 115(2), 126(2), 117(2), 109(1), 111(2) (ख), 56, 309(6), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप प्रमाणित पाए गए ।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/ आरोपी द्वारा दौराने बहस यह तर्क रहा है कि हस्तगत

प्रकरण में चार्जशीट संख्या- 188/ 2025 न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या- 2 नीम का थाना में प्रस्तुत की गई है जिसमें अनुसंधान लम्बित रखने की अनुमति सम्बंधित न्यायालय से प्राप्त किए बिना ही धारा- 193(9) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अनुसंधान लम्बित रखा गया है तथा अनुसंधान अधिकारी के द्वारा धारा - 111(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध मनमर्जी से प्रमाणित माना गया है जबकि प्रार्थी/ आरोपी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है । प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/ आरोपी का नाम नहीं है । वह गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है, गिरफ्तार होने पर उसके परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा । प्रार्थी/ आरोपी का कहीं भी भागने का अंदेशा नहीं है तथा ना ही अनुसंधान के दौरान गवाहान को बहकाने का अंदेशा है । प्रार्थी/ आरोपी न्यायालय के आदेशों की सदैव पालना करने को तैयार रहेगा तथा अनुसंधान में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालेगा । इस प्रकार उपरोक्त तर्क देते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया । अपने तर्कों के समर्थन में योग्य अधिवक्ता प्रार्थी / आरोपी की ओर से निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए गएः-

(1) Paliniswamy veeraraja & Ors Vs. The State pf Karnataka & Anr. Special Leave Petition (Cri.) 16149 of 2024

(2) Gajendra Singh Sekhawat Vs. State of Rajasthan & Ors. S. B. Cri. Misc (Pet.) No. 1375/ 2023

5. अपर लोक अभियोजक द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए प्रार्थी/ आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

6. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया, तथ्यात्मक रिपोर्ट, केस डायरी व सम्बंधित पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

7. केस डायरी के मुताबिक प्रार्थी/ आरोपी का पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड शून्य है।

8. केस डायरी पर प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं पत्रावली के अनुसार हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/ आरोपी के विरूद्ध धारा - 115(2), 126(2), 117(2), 109(1), 111(2) (ख), 56, 309(6), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के अपराध प्रमाणित पाए गए हैं तथा अभियुक्तगण कपिल गुर्जर व हंसराज के विरूद्ध सम्बंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण इस न्यायालय में कमिट होकर विचाराधीन है । उक्त आरोप पत्र में यह अंकित किया गया है कि प्रकरण में आरोपी रामनिवास व दिनेशसिंह घटना के बाद से ही घर

से रूहपोश चल रहे हैं, ऐसे में प्रार्थी/ आरोपी रामनिवास व दिनेशसिंह के विरूद्ध धारा - 193(9) BNSS के तहत अनुसंधान लम्बित रखा गया । तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त रामनिवास सैनी को दिनांक 24. 01. 2026 को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया एवं दाखिल जेल करवाया गया परन्तु आरोपी दिनेश सिंह की काफी प्रयास के बाद भी दस्तयाबी नहीं हो सकी, जिसे दस्तयाब किया जाकर प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष होना बताया गया है । प्रकरण में अभियुक्त रामनिवास के विरूद्ध भी आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है तथा प्रार्थी/ आरोपी दिनेश सिंह के विरूद्ध अभी भी धारा - 193(9) BNSS के तहत अनुसंधान लम्बित रखा जाना अंकित किया गया है तथा यह अंकित किया गया है कि दिनेश सिंह घटना के बाद से ही फरार चल रहा है जिसकी तलाश हेतु टीम गठित की जाकर तलाश के भरसक प्रयास किए गए तथा प्रार्थी/ आरोपी के परिजनों से सम्पर्क कर उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने व उसे पेश करने के सम्बंध में हिदायत दी गई परन्तु परिजनों के द्वारा प्रार्थी/ आरोपी के बारे में कोई जानकारी नहीं होना व्यक्त किया गया । तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि घटना के बाद से ही प्रार्थी / आरोपी का मोबाईल फोन भी बंद है । स्थानीय तौर पर तथा प्रार्थी/ अभियुक्त की रिश्तेदारियों में काफी तलाश की परन्तु उसका कोई पता नहीं चल सका । प्रार्थी/ अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी से बच रहा है जिससे प्रकरण में प्रयुक्त अलायजरब बरामद किया जाना है तथा अग्रिम अनुसंधान किया जाना है । उपरोक्त समस्त तथ्यों से यह प्रकट होता है कि प्रार्थी / आरोपी जानबूझकर गिरफ्तारी के भय से रूहपोश हो रहा है तथा अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा है ।

9. इसके अतिरिक्त प्रकरण के अनुसंधान में यह पाया है कि अभियुक्त रामनिवास का अपने भाईयों से काफी वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है तथा प्रार्थी/ आरोपी रामनिवास सैनी ने अन्य अभियुक्तगण **कपिल, हंसराज व दिनेश** को अपने भाई सुभाषचन्द को जान से मारने हेतु रूपयों का लालच दिया तथा दिनांक 05. 07. 2025 को उक्त अभियुक्तगण ने सुभाष को झाँसे में लेकर नीम का थाना बाईपास के पास बुलाकर भयंकर रूप से मारपीट कर मरा हुआ समझकर पटककर चले गए तथा इसकी एवज में अभियुक्त रामनिवास द्वारा अन्य अभियुक्तगण हंसराज, कपिल व प्रार्थी/ आरोपी दिनेश सिंह को पाँच लाख रूपये देना भी अनुसंधान से पाया गया जिसकी पुष्टि अन्य अभियुक्तगण कपिल गुर्जर व हंसराज के मध्य हुई वार्तालाप की रिकॉर्डिंग से होना पाया गया । केस डायरी पर आहत सुभाषचन्द का चोट प्रतिवेदन, एक्स- रे रिपोर्ट मौजूद हैं जिनके अनुसार आहत के शरीर पर Fracture of Tibia & Fibula Right side, Fracture of Tibia & Fibula Left side,

Ftacture of Proximal Phalanx of 3/ 4 finger right hand, Fracture of 5th Metacarpal of left hand एवं अन्य चोटें होना अंकित है । इसके साथ आहत सुभाषचन्द के शरीर पर आई चोटों के सम्बंध में मूल पत्रावली में फोटोग्राफ्स भी संलग्न है जिनसे आहत के शरीर पर काफी मात्रा में चोटें कारित होना प्रथम दृष्ट्या प्रकट होता है प्रकरण में अभियुक्त रामनिवास के द्वारा निर्ममतापूर्वक तरीके से अपने भाई सुभाषचन्द को जान से मारने हेतु संविदा पर संगठित अपराध किए जाने से सम्बंधित तथ्य प्रथम दृष्ट्या दर्शित होते हैं । आहत सुभाषचन्द का दिनांक 09. 07. 2025 को एस. एम. एस. अस्पताल जयपुर में ऑपरेशन होना भी केस डायरी पर उपलब्ध दस्तावेजात से प्रकट होता है ।

10. हस्तगत प्रकरण में घटना दिनांक 05. 07. 2025 को घटित हुई है जिसे घटित हुए लगभग एक वर्ष के लगभग हो चुका है और प्रार्थी/ आरोपी से प्रकरण में अनुसंधान किया जाना शेष है । हस्तगत प्रकरण में अभियुक्तगण कपिल व हंसराज के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त उनके विरूद्ध आरोप विरचित किए जाकर साक्ष्य अभियोजन में चार गवाहान के बयान लेखबद्ध किए जा चुके हैं, तत्पश्चात् अभियुक्त रामनिवास के विरूद्ध भी तितम्बा आरोप पत्र प्रस्तुत होने पर उसे पृथक से आरोप विरचित कर सुनाए जा चुके हैं । अब यह प्रकरण प्रार्थी/ आरोपी दिनेश सिंह से अनुसंधान हेतु लम्बित चल रहा है जिससे प्रकरण का विचारण अनावश्यक रूप से बाधित हो रहा है तथा अभियुक्त रामनिवास के सम्बंध में पुनः गवाहान को तलब किए जाने की स्थिति प्रकट हो रही है । प्रार्थी / आरोपी के उपस्थित आने पर विचारण कार्यवाही पुनः शुरू से प्रारम्भ होगी, जिससे प्रकरण के विचारण में विलम्ब होगा । प्रकरण सभी अभियुक्तगण के विरूद्ध समान होने से , प्रार्थी/ आरोपी के रूहपोश होने कारण विचारण विलम्बित हो रहा है तथा उक्त अभियुक्त के सम्बंध में भी विचारण की कार्यवाही Trial Denova होगी । जहाँ तक योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/ आरोपी द्वारा धारा- 173(8) दण्ड प्रक्रिया के तहत अनुसंधान लम्बित रखने के सम्बंध में मजिस्ट्रेट की अनुमति का प्रश्न है तो यह तथ्य अग्रिम जमानत के स्तर पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, जबकि अपराध अत्यंत गम्भीर प्रकृति का है ।

11. प्रकरण में प्रार्थी/ आरोपी रामनिवास के द्वारा संविदा पर हत्या करने हेतु प्रार्थी/ आरोपी दिनेशसिंह व अन्य अभियुक्तगण को रूपयों का लालच देकर उक्त आपराधिक घटनाक्रम को कारित करवाया है । केस डायरी के प्रथमतः अवलोकन से ऐसा भी प्रकट नहीं होता है कि प्रार्थी/ आरोपी को अनावश्यक रूप से उक्त आपराधिक कार्यवाही में संलिप्त किया जा

रहा हो । चूँकि, अनुसंधान अधिकारी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह प्रकट किया है कि घटना के पश्चात से अभियुक्त दिनेश सिंह की तलाश की जा रही है परन्तु वह अपनी सकूनत से रूहपोश हैं, जिससे यह दर्शित होता है कि प्रार्थी/ आरोपी अनुसंधान कार्यवाही में सहयोग नहीं कर रहा है । प्रार्थी / आरोपी के विरूद्ध घटना के सम्बंध में योजना बनाने व उसकी क्रियान्विति के सम्बंध में समस्त अनुसंधान उसके गिरफ्तार होने की बाद ही सम्भव हो सकता है । अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता एवं प्रार्थी/ आरोपी के पूर्व के आपराधिक आचरण को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बगैर प्रार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है ।

12. परिणाम स्वरूप प्रार्थी/ आरोपी दिनेश सिंह पुत्र श्रीमान् सिंह, आयु 24 वर्ष, निवासी जगतसिंह नगर तन नीमोद, पुलिस थाना नीम का थाना सदर, जिला सीकर (राज.) की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा - 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

(पूनम शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या- 2,
नीम का थाना (राज.)

13. आदेश आज दिनांक 02. 07. 2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

SUNIL KUMAR
Stenographer Gr.I "Authenticate Document" Digitally signed by SUNIL KUMAR
Date: 2026.07.02 12:17:50 +0530

(पूनम शर्मा)
अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या- 2,
नीम का थाना (राज.)